फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

शिवसिंह बनाम लो.सू.अधि. अधीक्षण अभियंता(पवस) जयपुर डिस्कॉम भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 21 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.04.2024	प्रार्थी/अपीलान्ट शिवसिंह पुत्र रामखिलाडी निवासी बिजलीघर कॉलोनी रूपवास जिला भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत अधीक्षण अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता(पवस) जयपुर डिस्कॉम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	287 29/04/24 मूल अपील लौटाई।